I/97268/2023

वित्तीय स्वीकृति

संख्या:– /XXXIV-1/2022–27/2022 (ई–23757)

प्रेषक,

विजय कुमार जोगदाण्डे,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
आहरण वितरण अधिकारी,
उत्तराखण्ड शासन।

सूचना प्रौद्यो0, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्यो0 अनुभाग–01 देहरादून : दिनांक 08 फरवरी ~~जनवरी~~, 2023

विषयः– आई0टी0डी0ए0 कार्यालय संचालन, ई–ऑफिस के क्रियान्वयन के लिये एन0आई0सी0 से लाईसेंस क्रय, सी0एम0 हैल्पलाईन में स्थापित पी0आर0आई0 एवं टोल फ्री कनेक्शन सम्बन्धी एवं स्टेट डाटा सेन्टर के अन्तर्गत अनुरक्षण एवं संचालन व्यय हेतु बजट अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, आई0टी0डी0ए0, देहरादून के पत्र दिनांक–20.01.2022 के द्वारा आई0टी0डी0ए0 कार्यालय संचालन, ई–ऑफिस के क्रियान्वयन के लिये एन0आई0सी0 से लाईसेंस क्रय, सी0एम0 हैल्पलाईन में स्थापित पी0आर0आई0 एवं टोल फ्री कनेक्शन सम्बन्धी एवं स्टेट डाटा सेन्टर के अन्तर्गत अनुरक्षण एवं संचालन व्यय हेतु धनराशि रू0 276.90 लाख अवमुक्त किये जाने के प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 में अनुदान संख्या–23 के लेखाशीर्षक–3425–अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 60–अन्य, 600 अन्य सेवायें, 02–राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढिकरण, 56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0 939.00 लाख (रू0 नौ करोड़ उनतालीस लाख मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 682.50 लाख (रूपये छः करोड़ बयासी लाख पचास हजार मात्र) में से तृतीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 300.00 लाख (रू0 तीन करोड़ मात्र) निम्नलिखित शर्तों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने तथा व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

I. उक्त धनराशि आहरित कर निदेशक, आई0टी0डी0ए0 को उपलब्ध करा दी जायेगी तथा आई0टी0डी0ए0 द्वारा आहरित धनराशि का व्यय वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप ही किया जायेगा।

II. उक्त धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व कार्यकारिणी समिति (Executive Committee) का अनुमोदन भी प्राप्त कर लिया जाय।

III. तकनीकी प्रकृति के कार्य के निर्धारण के सम्बन्ध में Specifications निर्धारित करते समय आवश्यकतानुसार ही Norms निर्धारित किये जाने तथा प्रतिस्पर्धा को प्रमोट करते समय Rigidity से बचा जाय एवं Rate Reasonability और Economy/मितव्ययता के सम्बन्ध में

Generated from eOffice by SEJAL GROVER, ARO(IT-1)-SG, ASSISTANT REVIEW OFFICER-IT-SEC-1, Information Technology Department on 08/02/2023 10:42 AM

I/97268/2023

यथालागू वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

IV. धनराशि का व्यय करते समय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

V. धनराशि व्यय करते समय उत्तराखण्ड में लागू उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं समय–समय पर निर्गत शासनादेशों / नियमों के अधीन समस्त प्रक्रियाएं पूर्ण की जाएंगी।

VI. स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र उपयोग / विचलन कदापि न किया जाए।

VII. धनराशि व्यय करते समय वित्तीय नियमों, बजट मैनुअल के प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी मितव्ययता सम्बन्धी नियमों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

VIII. आंवटित धनराशि के सापेक्ष व्यय का उपयोगिता प्रमाण–पत्र दिनांक 31.03.2022 तक शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

IX. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–23 के लेखाशीर्षक–3425–अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 60–अन्य, 600 अन्य सेवायें, 02–राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढिकरण, 56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

2– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–391 / 9(150)2019 / XXVII / 2022, दिनांक–24.06.2022 में निहित प्राविधानों तथा बजट आवंटन अनुदान सं0–23 के अलॉटमेन्ट आई0डी0 सं–S2301023001२, दिनांक:–30.01.23 के द्वारा जारी किए जा रहा है।

संलग्न–यथोक्त।

भवदीय,

Signed by Vijay Kumar
Jogdande
Date: 07-02-2023 18:35:45
Reason: Approved

(विजय कुमार जोगदाण्डे)
अपर सचिव।

संख्या एवं दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. - महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. - निदेशक, कोषागार एवं वित्तीय सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. - निदेशक, आई0टी0डी0ए0, देहरादून।
4. - केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
5. - सचिवालय प्रशासन, लेखा, उत्तराखण्ड शासन।
6. - वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
7. - गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Rajnish Jain
Date: 07-02-2023 19:16:34
(रजनीश जैन)
उप सचिव।

Generated from eOffice by SEJAL GROVER, ARO(IT-1)-SG, ASSISTANT REVIEW OFFICER-IT-SEC-1, Information Technology Department on 08/02/2023 10:42 AM